UPME010085702026

न्यायालय-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट), मेरठ।
पीठासीन अधिकारी- चन्द्र शेखर मिश्र (एच०जे०एस०)
जे0 ओ 0 नं0-यू0 पी- 6292
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या-2909/2026
नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सं0-2352/2026

चिराग अरोड़ा पुत्र धर्मेन्द्र हाल निवासी ए-11, साई गार्डन, थाना गंगानगर जिला मेरठ। निवासी 173, न्यू प्रेमपुरी, थाना रेलवे रोड, जिला मेरठ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य ..... वादी।

मु0 अ 0 सं0-177/2026
धारा-305, 317(2), 317(4) बी०एन०एस०
थाना-ब्रह्मपुरी, जिला-मेरठ।

दिनांक–11.06.2026

1- प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त चिराग अरोड़ा पुत्र धर्मेन्द्र की ओर से मु0 अ 0 सं0 177/2026, धारा- 305, 317(2), 317(4) बी०एन०एस०, थाना ब्रह्मपुरी, जिला मेरठ के मामले मे नियमित जमानत प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा समर्थन में श्रीमती भारती पत्नी धर्मेन्द्र का शपथपत्र प्रस्तुत किया है।

2- संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 30.04.2026 को समय करीब प्रातः 2 बजे वादी की दुकान मांगलिक मार्बल में से दो व्यक्ति ए०सी० का इनडोर चुराकर ले गये। वादी की दुकान में इस तरह की घटना दिनांक 22.04.2026 समय करीब प्रातः 00.30 बजे भी हुई थी, जिसमें प्रार्थी के गल्ले से 39,500/- रूपये चुरा कर ले गये थे। वादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराकर कानूनी कार्यवाही की मांग की गयी।

तलाश के अनुक्रम में दिनांक 04.05.2026 को उ०नि० द्वारा मय हमराहीगण समय 08.20 बजे रवाना होकर वास्ते विवेचना एवं तलाश वांछित अभियुक्त सम्बन्धित मु०अ०सं० 177/26 धारा 305 बीएनएस में मामूर था। जब उ०नि० मय हमराहीगण के अभियुक्त की पतारासी सुरागरसी करता हुआ बच्चा शम्शान पर पहुंचकर चैकिंग कर रहे थे तो जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि उपरोक्त मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्तगण स्कूटी पर सवार होकर देववती कन्या इण्टर कालेज की तरफ से ए०सी० का इनडोर बेचने किसी कबाड़ी के पास जा रहे है जिनकी स्कूटी पर आगे कपड़ा बंधा हुआ है तभी एक स्कूटी पर दो लड़के दूर से आते हुए दिखाई दिये मुखबिर ने इशारा करके बताया कि यह वही दो लड़के हैं जिन्होने चोरी की है इतना बताकर मुखबिर वहाँ से चला गया। इस सूचना पर विश्वास करके उ०नि० मय हमराहीयान के सघनता से चैकिंग करने लगे, सिखलाए हुए तरीके से एक बारगी दबिश देकर सामने से आ रहे स्कूटी सवार युवकों को घेरघोट कर पकड़ लिया

पकड़े गये युवकों से नाम पता पूछते हुए ज़ामा तलाशी ली गई तथा बीच में रखे ए०सी० इनडोर के बारे में पूछा गया तो स्कूटी चालक ने अपना नाम हनी उर्फ देव कश्यप पुत्र राजू कश्यप नि० शिवपुरम शाप्रिक्स माल थाना टी०पी०नगर जनपद मेरठ बताया तथा जामा तलाशी पर पहने कपडों के अलावा कोई शः बरामद नहीं हुई। इसके बाद दूसरे युवक ने अपना नाम चिराग अरोडा पुत्र धर्मेन्द्र अरोडा नि० ए-11 साँई गार्डन थाना गंगानगर जनपद मेरठ बताया तथा जामा तलाशी पर पहने पैंट की दाहिनी जेब से एक मोबाईल आईफोन बरामद हुआ, बरामद मोबाईल के बारे में पूछा गया तो बताया कि 34 दिन पहले मलियाना में मार्बल की दुकान में चोरी की थी जिसमें से इन्वर्टर बैट्री व डीवीआर व आईफोन चोरी किया था ये वही फोन है, और इन्वर्टर बैट्री व डीवीआर को राह चलते फेरी लगाने वाले कबाड़ी को बेच दिया। जिसके पैसे खर्च कर लिये हैं। इसके बाद स्कूटी पर बीच में रखे ए०सी० इनडोर के बारे में पूछा गया तो दोनों ने एक राय होकर बताया कि यह ए०सी० इनडोर दिनांक 30.04.2026 को मांगलिक मार्बल के यहाँ से रात में चोरी किया था आज इसको किसी कबाड़ी को बेचने जा रहे थे कि आप लोगो ने हमे पकड़ लिया। दिनांक 22.04.2026 की रात में भी दोनों ने इसी दुकान मांगलिक मार्बल के गल्ले से 39500/- रूपये चोरी किये थे उन रूपयों को नशे व शौक मौज मे खर्च कर दिया। इसके बाद उ०नि० द्वारा स्कूटी के कागजात तलब किये गये तो कागजात दिखाने में कासिर रहे पश्चात स्कूटी को अन्तर्गत धारा 207 एम०वी० एक्ट में सीज किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण को जुर्म से अवगत कराकर समय करीब 10.15 बजे हिरासत पुलिस लिया गया।

3- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थी / अभियुक्त को उक्त मुकदमें में झूठा व रंजिशन फसाया गया है। उक्त घटित घटना के समय जनता का कोई निष्पक्ष साक्षी नही है। प्रार्थी / अभियुक्त उक्त मुकदमें में नामजद नही है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उक्त मुकदमें में घटना दिनांक 22.04.2026 व दिनांक 30.04.2026 समय सुबह 2.00 बजे की बतायी गयी है। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना ब्रहमपुरी पर दिनांक 30.04.2026 को शाम 5.20 बजे दर्ज करायी गयी है जोकि घटना से करीब 8 दिन देरी से दर्ज करायी है जबकि देरी से रिपोर्ट दर्ज कराने का कोई स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नही किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 04.05.2026 को थाना ब्रह्मपुरी की पुलिस द्वारा एक मुखबिर की सूचना पर देववती कन्या इन्टर कॉलेज के पास से सहअभियुक्त हनी उर्फ देव कश्यप के साथ गिरफ्तार करना बताया है तथा सहअभियुक्त हनी उर्फ देव कश्यप की स्कूटी पर पीछे बैठे होना तथा दोनो अभियुक्तगण के कब्जे से एक ए०सी० इन्डोर बरामद करना बताया है जबकि उक्त कथित घटना के पांच दिन बाद उक्त ए०सी० इन्डोर को खुलेआम लेकर घूमना उक्त कथित गिरफ्तारी व बरामदगी की सत्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। प्रार्थी / अभियुक्त के उक्त मुकदमें में बरामद सामान की कोई शिनाख्त मुकदमा वादी से नही करवाई गयी है। प्रार्थी / अभियुक्त उक्त मुकदमें में दिनांक 04.05.2026 से जिला कारागार मेरठ में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2026 को खारिज किया जा चुका है तथा

इस न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नही है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा बाद जमानत गवाहो को प्रभावित करने या फरार होने का कोई अन्देशा नही है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की सन्तुष्टि हेतू उचित जमानत देने को तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान वाद जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी।

4- विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत आवेदन का प्रबल विरोध किया गया तथा अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का अनुरोध किया

5- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के कथनों को विस्तार से सुना तथा पत्रावली व पुलिस प्रपत्रो का सम्यकपूर्वक अवलोकन किया।

6– पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित हो रहा है कि प्रस्तुत मामले में वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी थी। प्रार्थी/अभियुक्त के पास से अभिकथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का एक अन्य मामले में आपराधिक इतिहास दर्शाया गया है, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह तर्क रखा गया कि उस मामले में उसकी जमानत हो चुकी है। किसी अन्य आपराधिक मामले के आधार पर किसी जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण नहीं किया जा सकता, अपितु उस मामले के तथ्यों को भी दृष्टिगत रखना अनिवार्य होता है। प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 04.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध होना अभिकथित है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त प्रकरण के गुण-दोष पर बिना कोई टिप्पणी किये अभियुक्त का नियमित जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितयों तथा अभियुक्त की निरुद्धता की अवधि को ध्यान में रखते हुए आधार जमानत पर्याप्त है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त चिराग अरोड़ा पुत्र धर्मेन्द्र की ओर से मु0अ0सं0 177/2026, धारा- 305, 317(2), 317(4) बी०एन०एस०, थाना ब्रह्मपुरी, जिला मेरठ में प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/- (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल किये जाने पर दौरान विचारण निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये ।

1- बंध पत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

2- आवेदक विचारण के प्रारम्भ की अवस्था, आरोप विरचित होने की दिनाक एवं धारा 351 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत परीक्षण की दिनांक को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

3- आवेदक वर्तमान मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन इस प्रकार का नहीं देंगे कि अवगत होने वाला व्यक्ति न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न कर सके।

4- आवेदक साक्ष्य को नष्ट नही करेगा।

5 -जो अभियोग आवेदक पर लगाया गया है, वैसा ही अन्य कोई अपराध आवेदक नहीं करेगा।

6- उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर यह जमानत आदेश निष्प्रभावी माना जाएगा

7- इस आदेश की एक प्रति ई-मेल के माध्यम से जेल अधीक्षक को प्रेषित की जाए।

दिनांक-11.06.2026

(चन्द्र शेखर मिश्र)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट), मेरठ।

Digitally signed by CHANDRA SHEKHAR MISRA
Date: 2026.06.12 15:48:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court